

राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के समक्ष
स्थान-कार्यालय सहायक कलेक्टर, मुख्यालय-टोंक

अध्यक्ष :- श्री पारस कुमार जैन (सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी)
सदस्य :- श्रीमती शिप्रा जैन सहायक कलेक्टर, मुख्यालय-टोंक
याची/वादी/परिवादी :- लक्ष्मण पुत्र चतुर्भुज जाट जाति जाट निवासी ग्राम सोन्दीफल तह0
पीपलू

प्रतिवादी/प्रत्यार्थी:- तहसीलदार पीपलू

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक की पत्रावली संख्या :- 19/2022

उपस्थित :- श्री ललित कुमार जगवाल अभिभाष अपीलान्ट
श्री सै0 मजहर आलम परोकार सरकार

अधिनिर्णय

दिनांक 12.03.2022

पक्षकारों के बीच विवाद राष्ट्रीय लोक अदालत के अवधारणा के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारों ने मामले पर समझौता कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया गया है :-

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, पीपलू ने अपने निर्णय दिनांक 01.12.2021 के द्वारा अपीलांट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 938/1 कुल रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म चरागाह वाके ग्राम सोन्दीफल तहसील-पीपलू में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 20 रुपये पेनल्टी कायम कर 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांट ने अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं होने कब्जा छोड़ने व भविष्य में भूमि पर कब्जा नहीं करने का शपथ-पत्र पेश किया है। परोकार सरकार भी सहमत है कि यदि वादी ऐसा करता है तो सजा माफ किया जावे। अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना का मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार-पीपलू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.12.2021 से अपीलांट को दी गई सिविल कारावास की सजा अपास्त की जाती है, शेष निर्णय यथावत रहेंगा। यदि भविष्य में पुनः अतिक्रमण करता है तो उसके लिए भू-राजस्व अधिनियम के साथ भारतीय दण्ड संहिता में भी मुकदमा दर्ज करवाया जा सकेगा।

सदस्य
शिप्रा जैन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
टोंक (राज०)



अध्यक्ष
पारस कुमार जैन
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
टोंक (राज०)

